Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 124-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 12, 2022 (ASADHA 21, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 जुलाई, 2022

संख्या 332 स.क.(1)–2022–हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 (2016 का 9) की धारा 3 की उप–धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करते हैं और निम्नलिखित को उक्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के रूप में नांमाकित करते हैं, अर्थात्:–

1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री दर्शन सिंह (सेवानिवृत्त) न्यायधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय।	:	अध्यक्ष
2.	डॉ० एस० के० गखर, भूतपूर्व कुलपति।	:	सदस्य
3.	श्री श्याम लाल जांगड़ा सुपुत्र श्री मातू राम मकान नं० 1, गली नं० 1, प्रोफेसर कॉलोनी, थानेसर (कुरूक्षेत्र)।	:	सदस्य
4.	महानिदेशक, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा।	:	सदस्य
5.	श्री मुकुल कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा, विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।	:	सदस्य सचिव

आगे, उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन यथा उपबंधित कृत्यों का निर्वहन करते समय, आयोग निम्नलिखित कृत्य भी करेगा, अर्थात् :–

(i) राज्य में पिछड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियों को अध्ययन करना;

(ii) सरकार में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और भागीदारी तथा सरकार के लाभों और स्कीमों का अध्ययन करना;

(iii) शैक्षणिक सस्थानों में पिछड़े वर्गों से विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध लाभों का आंकलन करना;

(iv) पिछड़े वर्गों के युवाओं के लिए उपलब्ध रोजगार अवसरों का अनुमान लगाना और रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(v) पिछड़े वर्गों के युवाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए सामयिक गतिविधियों का मूल्याकंन करना;

(vi) राज्य में पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अनुपात का प्रावधान किए जाने के लिए अध्ययन करना और सिफारिश करना;

(vii) ऐसे उपायों का अध्ययन करना और सिफारिश करना, जो पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक हो।

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निर्बन्धन तथा शर्तें बाद में अधिसूचित की जायेंगी।

विनीत गर्ग,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

चण्डीगढ़
12 जुलाई, 2022

HARYANA GOVERNMENT

WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT

Notification

The 12th July, 2022

No. 332-SW(1)-2022- In exercise of the powers conferred by sub sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Backward Classes Commission Act, 2016 (9 of 2016), the Governor of Haryana hereby constitute the Haryana Backward Classes Commission and nominates the following as Chairperson and Members of the said Commission, namely:-

1.	Justice Shri Darshan Singh, (Retired) Judge, Punjab and Haryana High Court.	Chairperson
2.	Dr. S K Gakhar, Former Vice Chancellor.	Member
3.	Shri Shyam Lal Jangra Son of Shri Matu Ram, House No. 1, Gali No. 1, Professor Colony, Thanesar (Kurukshetra).	Member
4.	Director General, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, Haryana.	Member
5.	Sh. Mukul Kumar, IAS, Special Secretary to Government, Haryana, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department.	Member Secretary

Further, while performing the functions as provided under section 9 of the said Act, the Commission shall undertake the following, namely:-

(i) study the present social, educational and economic conditions of the backward classes in the state;

(ii) study the representation and participation of backward classes in the Government and in benefits and schemes of the Government;

(iii) assess the benefits provided to the students from backward classes in educational institutions;

(iv) estimate the employment opportunities available to youth from the backward classes and to recommend measure for enhancement of employment opportunities;

(v) evaluate the current activities for skill development and training aimed at youth from the backward classes;

(vi) study and recommend the proportion of reservation for backward classes required to be provisioned in Panchayati Raj Institutions and Municipalities in the State;

(vii) study and recommend such measures, as may be required for the social, educational and economic welfare of the backward classes.

The terms and conditions of the service of the Chairperson and Members shall be issued later on.

VINEET GARG,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department.

Chandigarh:
The 12th July, 2022

9741—C.S.—H.G.P., Pkl.